न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 73 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
अर्जुनराम पुत्र उदाराम जाति देशान्तरी, निवासी धौरीमन्ना तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर	1. सुरेशकुमार पुत्र उदाराम जाति देशान्तरी, निवासी धौरीमन्ना तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 2. भारमल पुत्र चेलाराम जाति जाट निवासी चम्पाबेरी हाल धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 2ए श्रवणकुमार पुत्र नेनाराम जाति जाट निवासी लाच्छिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 3. किशनाराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी कोटड़ा हाल धौरीमन्ना तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 4. केसीदेवी पुत्री उदाराम जाति दिशान्तरी, निवासी धौरीमन्ना 5. ओमप्रकाश पुत्र पूनमाराम जाति जाट निवासी भारते की बेरी हाल धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार धौरीमन्ना

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 299 / 2015 बउनवान अर्जुनराम बनाम सुरेशकमार वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.09.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री केसराराम विश्नोई उतरदाता संख्या 2ए, 03 व 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—03.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा धौरीमन्ना के खसरा संख्या 710 रकबा 25.10 बीघा में अपीलांट का 1/2 हिस्सा घोषित किया जावे और उपरोक्त हिस्से की भूमि अलग की जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित मौका दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार धौरीमन्ना को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरीत तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारा प्रस्ताव आने के बाद अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सूचना दी गई, जबकि अपीलांट धौरीमन्ना का ही निवासी है और पास में ही रहता है। अपीलांट के पूर्व अधिवक्ता को चाहिए था कि बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं होने पर उन्हें अपीलांट से निर्देश प्राप्त करने के पश्चात ही बंटवारा प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए थी। इस प्रकार अपीलांट के पूर्व अधिवक्ता ने अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती है और पूर्व अधिवक्ता की मिलावटी साबित है। अधिवक्ता की गलती से अपीलांट को दण्डित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 05.09.2019 पर केवल अधिवक्ता के ही हस्ताक्षर हैं किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है और न ही उपरोक्त आदेशिका में किसी की उपस्थिति बताई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–RRT 2017(1) Page 610, RRT 2017(1) Page 689

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार धौरीमन्ना स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट स्वयं ही अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष वादी था। अपीलांट का वाद ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष की सहमति होने के कारण ही उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेशिका पर हस्ताक्षर कर विभाजन पर सहमति व्यक्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस अधिवक्ता की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अपीलांटस स्वयं मातहत अदालत के समक्ष वादी है। अपीलांटस के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर ही अपीलाधीन आराजी का बंटवारा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार धौरीमन्ना स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 05.09.2019 को अंतिम डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.08.2019 में स्पष्ट आया है कि मौके पर भूमि आबादी के समीप होने के कारण उक्त सम्पूर्ण खसरा कीमती है पूरा खसरा किसी प्रकार के सरकारी रास्ता के लगा हुआ नहीं है। इस कारण उक्त खसरे की चारों ओर से कीमत समान है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। अपीलांट/वादी के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर आदेशिका दिनांक 05.09.2019 पर वक्त बहस हस्ताक्षर किये। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट येन-केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार धौरीमन्ना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 299/2015 बउनवान अर्जुनराम बनाम सुरेशकुमार वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.09.2019 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

3/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 03.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर